2.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में सोलिया बजानी–मैजुलिया मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 803/ 2014 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 2724/ 111(2)/ 15–05(प्रकीर्ण)/2015 दिनांक 24.04.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर में गड़खेत मोटर मार्ग के स्थान सोलिया बजानी से मैजुलिया तक मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 लम्बाई एवं 1 पुल हेतु रू0 94.75 लाख की (प्रथम चरण हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर का गड़खेत क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। ग्राम सोलिया बजानी एवं तोक मैजुलिया (जनसंख्या (131) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। पूर्व में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्य हेतु जिन्तोली से गड़खेत तक 10 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। बाद में राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्माण एवं सुधार हेतु उक्त मार्ग लो0नि0वि0 के अधीन स्वीकृत किया गया जिस पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/ 18/ 2001/ एफ.सी./ 2845 दिनांक 18.01.2006 द्वारा 9.234 है0 वन भूमि की विधिवत स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी.आई.–1042/ 7–1– 2006/ 600 (983) / 2005 दिनांक 07.03.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति में है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग इसी मोटर मार्ग का विस्तार है और गड़खेत नामक स्थान से सोलिया बजानी होते हुए मैजुलिया तक इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.200 कि0मी0 आती है।

वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र गड़खेत है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार होगा। ग्रामीणों को गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे वृक्षों का अवैध पातन रूकेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है और अवशेष मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त भूमि का प्राविधान जोड़ा गया है। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण गढ़खेत नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं अंत में 3 कि0मी0 के बाद नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 3.200 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.148 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 153 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर